<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री इलेक्ट्रोन सिस्टम, सी-576, नई बस्ती सी आई पार्क के सामने बरेली ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**077 / 08, 22.02.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री इलेक्ट्रोन सिस्टम, सी-576, नई बस्ती सी आई पार्क के सामने बरेली द्वारा दिनांक 22.02.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तु पर करदेयता जाननी चाही गयी है :-

1. Variable Auto transformer
2. Constant voltage transformer (C.V.T.)
3. Transformer core (Trader)
4 Buck Boost transformer (B.B.T.)
5. Servo Voltage stablizer
6. Automatic Voltage Stablizer
7. Manual Voltage Stablizer
8. Battery Charger
9. Welding Transformer
10. Transformer Oil

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 29.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली द्वारा पत्र संख्या-4653, दिनांक 04.03.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी के धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित समस्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II में नहीं है । अत: प्रश्नगत समस्त वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत कर देय प्रतीत होती हैं ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है उनमें से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है । अत: उक्त समस्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी

चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिन 10 वस्तुओं पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है वे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अतः उक्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 31 जनवरी, 2014

ह0 / 31.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।